## एकल विंडो सिस्टम

## सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए मांग पत्र प्राप्त करने हेतु

संघ लोकसेवा आयोग द्वारा चयन के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मांगें स्वीकार करने के संबंध में 4 जुलाई, 2012 से एक एकल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस)की शुरुआत की गई है। **आयोग ने चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामलों में भर्ती आवश्यकताओं पर चर्चा करने और स्वीकार करने के लिए "एकल विंडो सिस्टम के तहत ई-नियुक्ति सॉफ्टवेयर" भी शुरू किया है, जिसे 1 नवंबर, 2018 से लागू किया गया है। आवेदन आयोग की वेबसाइट अर्थात्** (http://www.upsc.gov.in/single-window-system) **के होम पेज पर उपलब्ध एकल विंडो सिस्टम टैब से एक्सेस किया जा सकता है।मंत्रालयों/विभागों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अवर सचिवों के स्तर से नीचे न हो,से अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रणाली के माध्यम से मिलने का समय पहले से ले लें।**

**2.** एस.डब्ल्यू.एस. शुरू करने के परिणामस्वरूप, मंत्रालयों/ विभागों को अपने प्रस्तावों को स्वयं (अवर सचिव के पद या उससे ऊपर के एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से)लाना आवश्यक है जिसकी संवीक्षा संघ लोक सेवा आयोग में नामित अधिकारी के द्वारा मौके पर ही की जाएगी।

**3.** चयन द्वारा भर्ती के लिए मांग पत्र को यूपीएससी-33 (का.एवं प्रशि.वि.-**I**) प्रपत्र **(जिसमें कि 19 मदें है) जाँच सूची, अनुबंध-I, II व III एवं विज्ञापन विवरण के साथ सॉफ्ट प्रति एवं हार्ड प्रति में प्रस्तुत करना हैजैसा कि कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 39011/02/2019-स्था.(बी) दिनांक 16 जनवरी, 2020 के माध्यम से परिचालित किया गया था।**

**अनुलग्नक-ए**

**4.** एकल खिड़की सिस्टम के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मांग पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना है:

- **(i)** भर्ती नियमों/ सेवा नियमों की एक प्रति जो सभी अद्यतन संशोधनों के साथ, मांग करने वाले प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित/ प्रमाणित हो।
- **(ii)** आयोग के समक्ष मांग रखने के लिए संगठनों/ संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों (मंत्रालयों/विभागों के अलावा) को अधिकार प्रदान करने संबंधी प्रासंगिक दस्तावेज की एक प्रति।
- **(iii)** का.एवं प्र.वि.और पुनर्वास, महानिदेशालय रक्षा मंत्रालय के अधिशेष प्रकोष्ठ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतियां या उनसे किए गए पत्राचार की प्रतियां।